कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा–मा / माध्यमिक / शाला दर्पण / 60304(1) / 2017–18 / 292 दिनांक :– 6-11-17

1. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
   माध्यमिक शिक्षा,
2. समस्त संस्था प्रधान,
   राउमावि / मावि

विषयः– शिक्षा सत्र 2017–18 में राजकीय विद्यालयों की कक्षा 9 में नवीन प्रवेश लेने वाली छात्राओं को निःशुल्क साईकिल वितरण तथा मेधावी विद्यार्थियों हेतु लैपटॉप वितरण हेतु मॉड्यूल के संबंध में ।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सत्र 2017–18 में राजकीय विद्यालयों की कक्षा 09 में नवीन प्रवेश लेने वाली छात्राओं को निःशुल्क साईकिल वितरण का कार्य प्रगति पर है । शालादर्पण पर सत्र 2017–18 के लिए साईकिल वितरण हेतु मॉड्यूल प्रारम्भ किया जा चुका है । समस्त नोडल विद्यालय एवं संस्था प्रधान साईकिल वितरण से संबंधित फीडिंग का कार्य अविलम्ब पूर्ण करें ।

इसी प्रकार मेधावी विद्यार्थियों हेतु लैपटॉप वितरण से संबंधित मॉड्यूल भी जिला शिक्षा अधिकारी लॉगिन पर प्रारम्भ किया जा चुका है । लैपटॉप वितरण हेतु योग्य विधार्थियों के नामों की फीडिंग तुरन्त शुरू करें ।

संलग्न :– साईकिल वितरण मॉड्यूल में फीडिंग हेतु दिशा– निर्देश।

(विजय शंकर आचार्य)
उपनिदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. श्रीमान् निजी सचिव, शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. श्रीमान् अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक, रामाशिप जयपुर ।
3. समस्त उपनिदेशक मा शिक्षा को भेजकर लेख है कि शालादर्पण पर साईकिल तथा लैपटॉप फीडिंग कार्य का प्रभावी प्रबोधन करें ।
4. प्रमुख प्रणाली नियत्रंक एनआईसी जयपुर ।
5. प्रभारी, शाला दर्पण प्रकोष्ठ, जयपुर।
6. स्टाफ ऑफिसर कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट एवं शालादर्पण पोर्टल पर अपलोड करने हेतु

उपनिदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

E:\GOVIND GEN.LETTER

साईकिल वितरण मोड्यूल हेतु आवश्यक निर्देश

साईकिल वितरण मोड्यूल में दो तरह के मोड्यूल हैं---

1. **केवल नोडल विद्यालय हेतु**- यह मोड्यूल केवल उन्ही विद्यालयों के LOGIN में उपलब्ध होगा जो कंपनी से, साईकिल प्राप्त कर, अपने अधीन विद्यालयों को वितरित करेंगे. साधारणत: एक ब्लॉक में एक नोडल विद्यालय है. नोडल विद्यालयों को दो तरह की ENTRY करनी है--

(अ) साईकिल प्राप्ति-- कंपनी से प्राप्त कुल साइकिलो का विवरण दर्ज करना है.

(ब) विद्यालयों को साईकिल वितरण-- कंपनी से साईकिल प्राप्ति पश्चात् अपने अधीन विद्यालयों को साईकिल वितरण की ENTRY करनी है.

2. **सभी विद्यालयों हेतु**-- यह मोड्यूल सभी विद्यालयों के LOGIN में उपलब्ध होगा. इस मोड्यूल में निम्नानुसार ENTRY करनी है--

(अ) **साईकिल वितरण हेतु विद्यार्थी पहचान**--फेल अथवा दुबारा कक्षा 9 में अध्ययनरत छात्राओं को छोड़ कर विद्यालय की कक्षा 9 में अध्ययनरत समस्त छात्राओं की सूची यहाँ दिखाई देगी, जिसमे से साईकिल हेतु योग्य छात्रा के लिए ELIGIBLE, साईकिल हेतु पात्र न होने पर NOT ELIGIBLE तथा ट्रांसपोर्ट वाउचर लेने वाली छात्रा के लिए TRANSPORT VOUCHAR सलेक्ट करे तथा INSERT करे. प्रपत्र 5 में त्रुटिवश FEMALE के स्थान पर MALE हो जाने पर भी छात्रा का नाम सूची में दिखाई नहीं देगा.

(ब) **विद्यालय में साईकिल प्राप्ति**-- इस मोड्यूल में सबसे पहले अपने नोडल विद्यालय का नाम सेलेक्ट कर SHOW करना है. 'पिछले वर्ष की शेष बची साईकिल' में अपने विद्यालय में पिछले वर्ष की शेष बची उन साइकिलों की संख्या भर कर SAVE करनी है जो इस साल छात्राओं को वितरित करनी है. "प्राप्त साईकिल" में नोडल द्वारा आपके विद्यालय को वितरित साइकिलो की संख्या स्वत: आ जाएगी (यदि ये संख्या न दिखाई दे अथवा गलत दिखाई दे तो नोडल को ENTRY करने हेतु कहें) . इसी प्रकार "कुल चिन्हित विद्यार्थी", "वितरीत की गई साईकिल", "शेष", आदि भी स्वत: अपडेट हो जायेंगें.

(स) **छात्राओं को साईकिल वितरण**-- पूर्व में ''साईकिल वितरण हेतु विद्यार्थी पहचान" द्वारा INSERT की गई छात्राओं की सूची यहाँ प्रदर्शित होगी. छात्राओं के नाम के सामने साईकिल का ब्रांड, फ्रेम नं. आदि पूर्ती कर SAVE करे.

ध्यान रहे--

1. **केवल नोडल विद्यालय हेतु** जो मोड्यूल है वो किसी नोडल विद्यालय में उपलब्ध ना हो तो तुरंत शाला दर्पण, बीकानेर को सूचित करें.

2. नोडल विद्यालय द्वारा किसी विद्यालय को साईकिल वितरण की ENTRY करने के बाद ही उस विद्यालय में वितरण हेतु साइकिलों की संख्या दिखाई देगी तथा उसके बाद ही विद्यालय ENTRY कर पाएंगे. अत: विद्यालय में वितरण हेतु साइकिलों की संख्या दिखाई न दे तो नोडल से ENTRY हेतु कहें.

शाला दर्पण, बीकानेर.